महत्वपूर्ण

संख्या- 01/2018/3003/33-1-2017-3003/17

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-निदेशक,
पंचायतीराज,
उ0प्र0, लखनऊ

2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-1 **लखनऊ दिनांक 02 जनवरी, 2018**

विषय:- प्रदेश में भुखमरी एवं कुपोषण से उत्पन्न होने वाली घटनाओं को रोकने में ग्राम प्रधानों की भूमिका।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-3318/33-1-2006, दिनांक 04.12.2006 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश में भुखमरी एवं कुपोषण से मृत्यु, निर्धनता एवं ऋणग्रस्तता से आत्महत्या अथवा इसी प्रकार की अन्य घटनाओं के लिये प्रदेश सरकार द्वारा लागू योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किये जाने विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निर्गत राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-2465/1-11-2006-78जी/2006, दिनांक 30.10.2006, राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-2137, दिनांक 13.9.2006 तथा खाद्य एवं रसद् विभाग के शासनादेश संख्या-4426/29-6-2004-146सं-04, दिनांक 22.12.2004 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रदेश में भुखमरी एवं कुपोषण से उत्पन्न होने वाली घटनाओं की रोकथाम के लिये पंचायतों का सहयोग लेने एवं अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में व्यापक भ्रमण कर निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

2- प्रदेश के जनपदों में भुखमरी से मृत्यु या गरीबी, बेरोजगारी या कर्ज से तंग आकर किसानों द्वारा आत्महत्याओं की घटनाओं के रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही किये जाने विषयक राजस्व अनुभाग-11 के पत्र संख्या-126/1-11-2012-78जी/2006, दिनांक 20.4.2012 जो समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रदेश को सम्बोधित है, के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी सरकार की प्राथमिकताओं में है। यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रदेश में भुखमरी, कुपोषण एवं अन्य कारणों से आत्महत्या अथवा आत्महत्या के प्रयासों से संबंधित घटनायें कदापि न हों। जनपद में सतर्कता से ऐसे प्रकरणों पर नजर रखी जाय एवं सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाय कि भुखमरी या कुपोषण के कगार पर आने वाले व्यक्तियों को समुचित सहायता विधिवत ससमय उपलब्ध करायी जाय। प्रदेश में अगर कही भूख से मृत्यु होती है या गरीबी, बेरोजगारी या कर्ज से तंग आकर कोई किसान आत्महत्या करता है तो ग्राम प्रधान एवं संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं जनपद के जिलाधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3- आप अवगत है कि 73वें संविधान संशोधन के उपरांत ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ किया गया है एवं उन्हें पर्याप्त अधिकार एवं शक्ति प्राप्त है। ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के रूप में कार्य करने वाले कर्मी ग्राम सभा की बैठक कर ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, खाद्य एवं रसद् विभाग, महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार आदि विभागों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के लिये पात्र लाभार्थियों का चयन करते है। ग्राम में अत्यन्त निर्धन व्यक्तियों/परिवारों की सूचना ग्राम पंचायत व संबंधित ग्राम पंचायत सचिव के पास उपलब्ध होती हैं। उल्लेखनीय है कि पंचायतीराज विभाग के शासनादेश संख्या-2393/ 33-1-2001-350/2001, दिनांक 08.10.2001 द्वारा आकस्मिक कार्यों पर होने वाले व्यय के लिये ग्राम प्रधान के पास अग्रिम धनराशि रखने की सीमा रू0-1000/-निर्धारित की गयी है, जिसका उल्लेख करते हुए खाद्य एवं रसद् विभाग के शासनादेश संख्या-4426/29-6-2004-146स0/2006, दिनांक 22.12.2004 में यह निर्देश दिया गया है कि किसी परिवार में भूख एंव कुपोषण के उत्पन्न होने पर ग्राम प्रधान द्वारा आकस्मिकता के रूप में संचित धनराशि से तत्काल राहत प्रदान की जायेगी। ग्राम प्रधान द्वारा व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति राजस्व विभाग द्वारा की जायेगी। शासनादेश संख्या-3/2016/ 3038/33-1-2016, दिनांक 22.11.2016 द्वारा ग्राम प्रधानों को आकस्मिक खर्च के रूप में रू0-1000/-(रूपया-एक हजार मात्र) के स्थान पर रू0-5000/- (रूपया-पॉच हजार मात्र) अपने पास रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त तथ्यों के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में भुखमरी एवं कुपोषण से उत्पन्न होने वाली घटनाओं की रोकथाम के लिये ग्राम पंचायतों का सक्रिय सहयोग लिया जाय और जनपद के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में व्यापक भ्रमण कर निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- उक्त के आलोक में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में अगर कही भी भुखमरी एवं कुपोषण से उत्पन्न होने वाली घटनायें होती है तो इसके लिये ग्राम प्रधान एवं संबंधित ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी होगे एवं उनके विरूद्ध सुसंगत नियमों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(**चंचल कुमार तिवारी**)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:- 01/2018/3003(1)/33-1-2017-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, खाद्य एवं रसद् विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासनादेश सं0-3/2016/3038/33-1-2016, दिनांक 22.11.2016 द्वारा ग्राम प्रधानों को आकस्मिक खर्च के रूप में रू0-1000/- (रूपया-एक हजार मात्र) के स्थान पर रू-5000/- (रूपया-पॉच हजार मात्र) अपने पास रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। ऐसी स्थिति में खाद्य एवं रसद् विभाग के शासनादेश संख्या-4426/29-6-2004- 146स0/2006, दिनांक 22.12.2004 के क्रम में ग्राम प्रधान द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में आकस्मिकता निधि से उक्तानुसार व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति कराने का कष्ट करें।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त का प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
8. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**राजमणि यादव**)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।